न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2024

बउनवान

गोपाल शर्मा आयु 56 वर्ष पुत्र स्व0 श्री किशनलाल उर्फ किशनचन्द जाति ब्राह्मण निवासी रेतवाली बरनापाड़ा (मथुराधीश का नोहरा) केथूनीपोल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा,राज0 (अपीलांट)

बनाम

हीरालाल पुत्र श्री नवल जाति माली निवासी वार्ड नं. 23 बिड का कुआं थाने के सामने जमनालाल जी की पट्टियों का स्टाक के पास अंता (रेंस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

इंतकाल संख्या 598 दिनांक 09.11.2023 तस्दीक दिनांक 16.11.2023 ग्राम अंता

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 27.03.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन इंतकाल अपीलांट एवं मृतक पार्वतीदेवी पत्नी स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द के विधिक वारिसान को बिना सुने खोला गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। मृतक पार्वतीबाई की आराजी ग्राम अंता खसरा नंबर 1429 रकबा 0.85 हे. के संदर्भ में एक कार्यवाही पूर्व में प्रकरण संख्या 9/2017 न्यायालय तहसीलदार अंता में चली जिसमे न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये मृतक पार्वतीदेवी के वारिसान की जांच लाडपुरा तहसील कोटा से मंगवाई गई जो दिनांक 24.03.2017 को पटवारी लाडपुरा द्वारा तैयार की गई। रेस्पो0 द्वारा उक्त कार्यवाही में दिनांक 09.12.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.08.1972 की वसीयत बताकर मृतक पार्वतीबाई का देहान्त दिनांक 08.05.1974 को होना बताया। तहसीलदार अन्ता ने विधिवत सुनवाई कर दिनांक 20.12.2017 को आदेश पारित किया गया कि दो वसीयते हैं तथा दो मृत्यु प्रमाण पत्र भिन्न तारीखों के हैं तथा न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन हैं। अतः वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये जाने के आदेश पारित किये गये। उसके बावजूद तहसीलदार अंता द्वारा उक्त आदेश को मनमाने तरीके से हटाते हुए नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 16.11.2023 को गलत रूप से तस्दीक किया गया। जबकि नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलांट एवं मृतक पार्वतीदेवी के विधिक वारिसान को विधिवत सुने बिना तस्दीक नहीं किया जाना चाहिये था। न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 अनुसार मुसम्मात पार्वतीबाई के विधिक वारिसान को यदि कोई है तो रिकार्ड [illegible] सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल नि[illegible] करे, इस निर्देश के साथ रिमांड की गई थी जिसके आधार पर न्याया[illegible] पुनः दर्ज की गई जिसे स्थानान्तरित करने के लिये [illegible] जिला कलक्टर, बा[illegible] प्रस्तुत करने पर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड [illegible] को अंतरित किया [illegible] इस प्रकरण में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र में भी मृतक पार्वतीबाई के विधिक [illegible] को पक्षकार नहीं बनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

02.2024 प्रकरण संख्या 207/2019 बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां में प्रस्तुत की हुई है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 21.02.2024 नियत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 598 ग्राम अंता आराजी खसरा नंबर 1429 रकबा 0.85 है. निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार अंता में जैरकार रहे प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विधिवत सुनवाई कर तत्कालीन तहसीलदार अन्ता ने दिनांक 20.12.2017 को सिविल न्यायालय से प्रोबेट करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जिसका नोट राजस्व रेकार्ड में अंकित किया गया परन्तु तहसीलदार अन्ता के आदेश क्रमांक 4130 दिनांक 08.11.2023 से खाते से प्रोबेट का नोट हटाये जाने की स्वीकृति दी जाकर दिनांक 16.11.2023 को अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त आराजीयात बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर, अन्ता में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल वगैरह निर्णय दिनांक 24.10.2008 से वाद वादी खारिज किया गया जिसकी प्रथम अपील संख्या 200/2009 बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल वगैरह निर्णय दिनांक 01.02.2010 से न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा खारिज की गई। द्वितीय अपील डी/टी.ए./1985/2010 बारां बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल वगैरह में निर्णय दिनांक 28.08.2019 से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा "अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर, अन्ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मूल वाद में चाही गई सहायता को समाप्त किया जाकर वसीयत निष्पादन दिनांक 22.08.1972 एवं मूल रजि0 वसीयत दिनांक 10.10.2017 अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने की प्रार्थना को मूल वाद में संशोधित किया जाए।" तदोपरान्त मु0 पारवती बाई के विधिक वारिसान को (यदि कोई हैं) रिकार्ड पर लिया जाकर उन्हे विधिवत सुनवाई व साक्ष्य आदि का यथोचित अवसर प्रदान करते हुये नियमानुकूल निर्णय पारित करें। जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता में पत्रावली पुनः दर्ज की गई जिसे स्थानान्तरित करने के लिये न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को अंतरित किया गया। इस प्रकरण में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र में भी मृतक पार्वतीबाई के विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 प्रकरण संख्या 207/2019 बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां में प्रस्तुत की हुई है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 21.02.2024 नियत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 598 ग्राम अंता आराजी खसरा नंबर 1429 रकबा 0.85 है. निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि हस्तगत प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। राजस्थान में वसीयत को प्रोबेट कराने बाबत कानून प्रचलित नहीं है। यदि अपीलांट प्रकरण में प्रभावित पक्षकार हैं तो

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अन्ता, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अथवा रिमाण्ड होकर वापस प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में पक्षकार बनकर मूल वाद में चाराजोही कर अपना पक्ष रख सकते थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अतः हस्तगत अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें हक व अधिकारों का निस्तारण नहीं हो सकता। इसके लिये नियमित वाद की अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा केम्प बारां में अपीलांट द्वारा जैरकार होना हस्तगत अपील में अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested